रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D-(D.N.) 127

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थालय CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA भारत सरकार

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 1989/श्रावण 9, 1911
No. 471] NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 1989/SRAVANA 9, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1989

[राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 53) के अधीन निर्गमित]

राष्ट्रीय आवास बैंक (बंधपत्रों का पुरोधारण और प्रबंध) विनियम, 1989

का.आ. 600(अ):—राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आवास बैंक (बंधपत्रों का पुरोधारण और प्रबंध) विनियम, 1989 है ।

(2) ये निम्नलिखित को लागू होंगे :

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत और विक्रय की गई बंधपत्र शृंखला सं. 1 और ऐसी अन्य शृंखलाएं जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन विनियमों के प्रवृत्त होने तक, पुरोधृत की जाएं ।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से पुरोधृत और विक्रय किए गए बंधपत्र ।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो : -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) "बंधपत्र" से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन पुरोधृत और विक्रय किए गए बंधपत्र अभिप्रेत है।

(ग) "विरूपित बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जिसे अपठनीय बना दिया गया है और जिसके सारवान भाग को अपाठ्य बना दिया गया है और किसी बंधपत्र के सारवान भाग वे हैं, जहां—

(i) बंधपत्र का संख्यांक, पुरोधरण जिससे वह संबंधित है और उसका अंकित मूल्य या ब्याज का संदाय अभिलिखित है; या

(ii) पृष्ठांकन या पाने वाले का नाम लिखा जाता है; या

(iii) नवीकरण रसीद या अंतरण ज्ञापन दिया जाता है।

(घ) "प्ररूप" से इन विनियमों की अनुसूची में उपवर्णित कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(झ) "गुम बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जो वास्तव में गुम हो गया है और इससे ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत नहीं है जो दावाकर्ता के प्रतिकूल किसी व्यक्ति के कब्जे में है;

(ञ) "विकृत बंधपत्र" से ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है जिसका सारवान भाग नष्ट हो गया है, फट गया या नुकसानग्रस्त हो गया है;

(ट) "पुरोधरण कार्यालय" से राष्ट्रीय आवास बैंक का वह कार्यालय अभिप्रेत है जिसकी बहियों में कोई बंधपत्र रजिस्ट्रीकृत किया जाता है या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है;

(ठ) "विहित अधिकारी" से राष्ट्रीय आवास बैंक के ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिन्हें विनियम 11, विनियम 12, विनियम 13, विनियम 14, विनियम 16, विनियम 17 और विनियम 18 के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ड) "स्टाक प्रमाणपत्र" से विनियम 3 के अधीन पुरोधृत स्टाक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ।

3. बंधपत्र का प्रकार और उसके अंतरण का ढंग, आदि—(1) बंधपत्र निम्नलिखित प्ररूप में पुरोधृत किया जा सकेगा :—

(क) वचनपत्र जो अमुक व्यक्ति को या उसके आदेश से संदेय हो; या

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत स्टाक के लिए स्टाक प्रमाणपत्र ।

(2)(1) वचनपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्र पृष्ठांकन और परिदान द्वारा उसी प्रकार अंतरणीय होगा जिस प्रकार वचनपत्र आदेश पर संदेय होता है ।

(2) वचनपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्र पर कोई भी लेखन पर-क्रामण के प्रयोजन के लिए विधिमान्य नहीं होगा, यदि ऐसा लेखन बंधपत्र द्वारा अंकित रकम के केवल एक भाग को अंतरण करने के लिए तात्पर्यित हो ।

(3) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत और राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में रजिस्ट्रीकृत कोई बंधपत्र, प्ररूप 1 में अंतरण की लिखत के निष्पादन द्वारा या तो पूर्णतः या भागतः अंतरणीय होगा । ऐसी दशा में अंतरक स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्रों का, जिससे अंतरण संबंधित है, धारक तब तक समझा जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता है।

(4) (क) इसमें प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय आवास बैंक, बंधपत्रों के हकदार किसी व्यक्ति के अनुरोध पर, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में बंधपत्रों के हकदार व्यक्ति के नाम पर प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र पुरोधृत कर सकेगा।

(ख) बंधपत्रों, आरंभ में बंधपत्रों के लिए प्रतिभूति के समय पर या बाद में पुरोधृत बंधपत्रों को वचन पत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में संपरिवर्तन द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक की खाता बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में पुरोधृत किए जा सकते हैं।

(ग) यदि कोई बंधपत्र पहले ही वचनपत्र के रूप में पुरोधृत किया जा चुका है तो ऐसा बंधपत्र धारक जो उसे राष्ट्रीय आवास बैंक के पास खाते में प्रविष्टि के रूप में धारण करने का हकदार है।

बंधपत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक की खाता बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में धारित किए जाने के लिए प्ररूप 2 में अभ्यर्पणा करेगा और राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में सम्यकृत् पृष्ठांकित बंधपत्र को अभ्यर्पित कर देगा ।

(घ) यदि बंधपत्र स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत किया गया है तो धारक बंधपत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में इस अनुरोध के साथ अंतरित करेगा कि बंधपत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप धारक के नाम पर धारित किया जा सकेगा।

(ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र धारण करने वाला कोई व्यक्ति, प्ररूप 3 में आवेदन करके, बंधपत्रों को वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में अंतरित या संपरिवर्तित करा सकेगा ।

(च) राष्ट्रीय आवास बैंक की खाता बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों के पुरोधरण लिए या वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पहले से पुरोधृत बंधपत्रों को राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में संपरिवर्तित करने या इसके विपर्ययेण के लिए कोई फीस प्रभार्य नहीं है ।

(छ) राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में पुरोधृत या धारित बंधपत्र प्ररूप 4 में अंतरण की एक लिखत के निष्पादन द्वारा अंतरणीय होंगे । ऐसे मामलों में अंतरक को उन बंधपत्रों का जिनसे अंतरण संबंधित है, ऐसे समय तक धारक समझा जाएगा जब तक कि अंतरिती का नाम राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में दर्ज नहीं कर लिया जाता है।

(5) (1) बंधपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा और ऐसे मुद्रित उत्कीर्ण या शिला-मुद्रित या ऐसी अन्य यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा छापित किया जा सकेगा जैसा राष्ट्रीय आवास बैंक निदेश करे ।

(2) इस प्रकार मुद्रित, उत्कीर्ण, शिलामुद्रित या अन्य रूप में छापित हस्ताक्षर वैसे ही विधिमान्य होगा मानो वह स्वयं हस्ताक्षरकर्ता के समुचित हस्तलेख द्वारा अंतर्लिखित है ।

(6) वचनपत्र के रूप में किसी बंधपत्र का कोई पृष्ठांकन या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में किसी बंधपत्र की दशा में अंतरण की कोई लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि वह धारक या उसके सम्यकृत् नियत अटर्नी या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर द्वारा वचनपत्र के रूप में बंधपत्र की दशा में बंधपत्र के पीछे और स्टाक प्रमाणपत्र की दशा में अंतरण की लिखत पर अंतर्लिखित नहीं कर दी जाती है ।

4. न्यास जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है :—(1) राष्ट्रीय आवास बैंक किसी बंधपत्र की बाबत उसमें धारक के पूर्ण अधिकार को छोड़कर, किसी न्यास या किसी अधिकार को किसी भी रूप में, उसकी सूचना दिए जाने पर भी, मान्यता देने के लिए बाध्य या विवश नहीं होगा।

(2) उपविनियम (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आवास बैंक अनुग्रह के रूप में और राष्ट्रीय आवास बैंक पर कोई बाध्यता के बिना, स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्र के धारक द्वारा स्टाक प्रमाणपत्र पर ब्याज के या उसके परिपक्वता मूल्य के संदाय के लिए या स्टाक प्रमाण पत्र से संबंधित ऐसे मामलों के अंतरण के संबंध में, ऐसे निदेश अपनी बहियों में अभिलिखित कर सकेगा, जैसे राष्ट्रीय आवास बैंक उचित समझे ।

5. न्यासियों या पदधारियों द्वारा स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्रों को धारण करने के लिए उपबंध :—

(1) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बंधपत्र को किसी पद धारक द्वारा—

(क) राष्ट्रीय आवास बैंक कर्ज बहियों और स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के रूप में चाहे अपने आवेदन में विनिर्दिष्ट आवास के किसी न्यासी के रूप में या चाहे किसी ऐसे वर्णीकरण के बिना, न्यासी के रूप में, वर्णित अपने नाम पर धारण किया जा सकता है।

(ख) अपने पदनाम पर धारण किया जा सकता है।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित प्ररूप में राष्ट्रीय आवास बैंक को लिखित रूप में आवेदन किए जाने पर, उस व्यक्ति द्वारा, जिसके नाम में बंधपत्र है, बंधपत्र को अभ्यर्पित कर दिए जाने पर राष्ट्रीय आवास बैंक—

(क) अपनी बहियों में ऐसी प्रविष्टि कर सकेगा जिसमें उसे किसी विनिर्दिष्ट न्यास का न्यासी या किसी न्यास के विनिर्देश के बिना, न्यासी किया गया होगा और उसके नाम पर स्टाक प्रमाणपत्र पुरोधृत कर सकेगा। जिसमें यथास्थिति, न्यास के विनिर्देश सहित या रहित न्यासी के रूप में उसका वर्णन होगा ; या

(ख) आवेदक के अनुरोध के अनुसार, उसके पद के नाम पर उसे स्टाक प्रमाणपत्र पुरोधृत कर सकेगा और अपनी बहियों में प्रविष्टि कर सकेगा जिसमें उसे उसके पद के नाम पर स्टाक धारक वर्णित किया गया है, परन्तु यह तब जबकि—

(i) अनुरोध इसके उपविनियम (i) के उपबंधों के अनरूप हो ,

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उपविनियम (7) के निबंधनानुसार अपेक्षित आवश्यक साक्ष्य दी गई हो, और

(iii) बंधपत्र, यदि वह वचनपत्र के रूप में हो तो, राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया हो और यदि स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में हो तो उसे रजिस्ट्रीकृत धारक द्वारा प्ररूप 5 में प्राप्त किया गया है।

(3) उपविनियम (i) के अधीन स्टाक प्रमाणपत्र पद धारक द्वारा अकेले या किसी भी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ या कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया जा सकेगा।

(4) जब स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा अपने पद के नाम पर धारण किया जाता है तब संबद्ध स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित कोई दस्तावेज तत्समय पद धारण करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा नाम से जिसमें स्टाक प्रमाणपत्र धारित किया जाता है, निष्पादित की जा सकती है मानो उसके स्वयं के नाम का ही कथन किया गया है।

(5) जहां किसी ऐसे स्टाक प्रमाणपत्र धारक द्वारा जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में न्यासी या पदधारक के रूप में वर्णित किया गया है, निष्पादित किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वहां राष्ट्रीय आवास बैंक का कार्य इस बात की जांच पड़ताल करना नहीं होगा कि क्या स्टाक प्रमाणपत्र धारक किसी न्यास या दस्तावेज या नियमों के अधीन किसी ऐसी शक्ति को प्रदान करने के लिए या ऐसा विलेख या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने के लिए हकदार है और वह अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या दस्तावेज पर उसी रीति से कोई कोई कर सकेगा मानो निष्पादक स्टाक प्रमाणपत्र धारक है और चाहे स्टाक प्रमाणपत्र धारक को अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या दस्तावेज में न्यासी के रूप या पद धारक के रूप में वर्णित किया गया हो या न किया गया हो और चाहे वह न्यासी या पद धारक को अपनी हैसियत में अंतरण विलेख, मुख्तारनामा या दस्तावेज निष्पादित करने के लिए तात्पर्यित है या तात्पर्यित नहीं है।

(6) किसी न्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के अधीन किसी न्यासी या पद धारकों या किन्हीं न्यासियों या पद धारकों और हितधिकारियों के बीच इस विनियम को किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यासियों या पद धारकों को उसके भिन्न कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जो न्यास को लागू विधि शासन के न्यास का गठन करने वाली लिखत के निबंधनों के या ऐसे संगम को जिसका स्टाक प्रमाणपत्र धारक एक पदधारक है, शासित करने वाले नियमों के अनुसार है, और न ही राष्ट्रीय आवास बैंक या किसी स्टाक प्रमाणपत्र में कोई हित धारण करने या अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति किसी स्टाक प्रमाणपत्र के या किसी स्टाक प्रमाणपत्र धारक के संबंध में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे गए किसी रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के या स्टाक प्रमाणपत्र से संबंधित किसी दस्तावेज में किसी बात के कारण से हो, किसी न्यास के या किसी स्टाक प्रमाणपत्र धारक की वैधकालिक हैसियत को या किसी स्टाक प्रमाणपत्र के धारण से संलग्न किसी वैधकालिक बाध्यता की सूचना से प्रभावित होगा।

(7) इस विनियम के अनुसरण में, किसी व्यक्ति द्वारा किसी पद के धारक के रूप में किए गए किसी आवेदन पर या निष्पादित किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी दस्तावेज पर कार्रवाई करने के पूर्व, राष्ट्रीय आवास बैंक यह साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति तत्समय उस पद का धारक है।

6. न्यास या न्यासियों द्वारा वचनपत्रों के रूप में पुरोधृत बंधपत्रों को धारण करने के लिए उपबंध :—

(1) विनियम 4 के विनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवेदक के अनुरोध पर और राष्ट्रीय आवास बैंक को दायित्वाधीन बनाए बिना, यथास्थिति, किसी विनिर्दिष्ट न्यास या उस न्यास के न्यासी (न्यासियों) के नाम पर या आवेदक के स्वयं के नाम पर, उसे न्यासी बताते हुए चाहे वह उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट न्यास के न्यासी के रूप में हो या ऐसे विनिर्देश के बिना किसी न्यासी के रूप में हो वचनपत्र के रूप में बंधपत्र पुरोधृत कर सकेगा।

(2) जहां वचनपत्र के रूप में कोई बंधपत्र किसी धारक के स्वयं के नाम पर है वहां राष्ट्रीय आवास बैंक, धारक द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित प्ररूप में किए गए किसी आवेदन पर और ऐसा बंधपत्र अभ्यर्पित करने पर इसके उप विनियम (1) में अधिकथित रीति में, वचनपत्र के रूप में नवीकृत बंधपत्र पुरोधृत कर सकेगा :

परन्तु यह तब जबकि—

(i) इसके उपविनियम (6) के निबंधनानुसार राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित, आवश्यक साक्ष्य दी गई हो , और

(ii) बंधपत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में पृष्ठांकित किया गया हो।

(3) उप विनियम (1) के अधीन बंधपत्र को किसी न्यास के न्यासी द्वारा अकेले या उस न्यास के न्यासियों के रूप में किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप में धारित किया जा सकेगा।

Indiacode

(4) जहां वचनपत्र के रूप में किसी बंधपत्र को जो न्यासी के रूप में बंधपत्र धारक द्वारा पृष्ठांकित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, राष्ट्रीय आवास बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वहां या जहां किसी मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज को जो बंधपत्र धारक द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए तात्पर्यित है, राष्ट्रीय आवास बैंक का कार्य इस बात की जांच पड़ताल करना नहीं होगा कि क्या बंधपत्र धारक किसी न्यास या दस्तावेज के निबंधनों के अधीन या नियमों के अधीन ऐसा पृष्ठांकन करने का या ऐसा मुख्तारनामा या अन्य दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है और वह पृष्ठांकन मुख्तारनामा या दस्तावेज पर उसी रीति से कार्य कर सकेगा मानो ऐसा पृष्ठांककर्ता बंधपत्र धारक है और चाहे बंधपत्र धारक को पृष्ठांकन, मुख्तारनामा या दस्तावेज में न्यासी के रूप में वर्णित किया गया हो या न किया गया हो और चाहे वह न्यासी की अपनी हैसियत में पृष्ठांकन करने या मुख्तारनामा या दस्तावेज निष्पादित करने के लिए तात्पर्यित है या तात्पर्यित नहीं है।

(5) किसी न्यास या किसी दस्तावेज या नियमों के अधीन किन्हीं न्यासियों और हिताधिकारियों के बीच इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यासियों को उससे भिन्न कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जो न्यास को लागू विधि नियमों के या न्यास का गठन करने वाली लिखित के निबंधनों के अनुसार है।

(6) इस विनियम के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा किसी न्यास के न्यासी के रूप में किए गए किसी आवेदन पर कार्य करने के पूर्व राष्ट्रीय आवास बैंक यह समाधान पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति उस न्यास का तत्समय न्यासी है।

7. धारक बनाए जाने से निर्वारित व्यक्ति :

कोई अवयस्क और ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त पाया गया है बंधपत्रों का धारक होने के लिए हकदार नहीं होगा।

8. ब्याज का संदाय :

(1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संदाय बंधपत्र प्रास्पैक्टस में विनिर्दिष्ट पुरोधारण कार्यालय या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अन्य कार्यालय द्वारा, बंधपत्र के धारक द्वारा ऐसी औपचारिकताओं का पालन करने के अधीन रहते हुए, जिनकी राष्ट्रीय आवास बैंक अपेक्षा करे, और बंधपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

(2) स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बंधपत्र पर ब्याज का संदाय राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए अधिपत्रों (वारंट) द्वारा किया जाएगा और जो राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक के स्थानीय कार्यालय में संदेय होगा। ब्याज का संदाय करते समय स्टाक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किन्तु पाने वाला अधिपत्र के पीछे तरफ प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा।

(3) राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में एक प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्र पर ब्याज राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पाने वाले के खाते में देय रेखांकित अधिपत्र जारी करके या ऐसी अन्य रीति से जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा करार पाई जाए, संदत्त किया जाएगा।

9. प्रक्रिया, जहां वचनपत्र के रूप में बंधपत्र गुम हो जाता है, आदि: (1) किसी ऐसे बंधपत्र के जिसके पूर्णतः या अंशतः गुम, चोरी, नष्ट, विरूपित या विकृत हो जाने का अभिकथन है, स्थान पर दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदनपत्र पुरोधारण कार्यालय को भेजा जाएगा और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(क) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार बंधपत्र की विशिष्टियां:—

प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्रों का ..... रु. का बंधपत्र सं. .....

(ख) पिछला अर्ध वर्ष जिसके लिए ब्याज संदत्त किया गया है;

(ग) वह व्यक्ति जिसको ऐसा ब्याज संदत्त किया गया था;

(घ) वह व्यक्ति जिसके नाम पर बंधपत्र पुरोधृत किया गया था यदि ज्ञात हो ;

(ङ) वे परिस्थितियां जिनके कारण हानि, चोरी, विनाश, विरूपकरण या विकृति हुई है; और

(च) क्या हानि या चोरी की पुलिस को रिपोर्ट की गई थी।

(2) ऐसे आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(क) जहां बंधपत्र रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजने के दौरान गुम गया है वहां उस पत्र को जिसमें बंधपत्र है, ढकवर रजिस्ट्री रसीद;

(ख) यदि पुलिस को हानि या चोरी की रिपोर्ट की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति;

(ग) यदि आवेदक रजिस्ट्रीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष यह साक्ष्य देते हुए कि आवेदक बंधपत्र का अन्तिम विधिक धारक है, शपथ पर लिया गया शपथपत्र और रजिस्ट्रीकृत धारक के हक का पता लगाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्य; और

(घ) ऐसा भाग या खंड जो गुमे, चोरी, नष्ट, विरूपित या विकृत हुए बंधपत्र का अवशेष हो।

(3) यदि ऐसे ब्याज पुरोधारण कार्यालय द्वारा संदेय नहीं है तो आवेदन की एक प्रति राष्ट्रीय आवास बैंक के उस कार्यालय को भी भेजी जाएगी जहां ब्याज संदेय है। परन्तु आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों की प्रतियां भेजना आवश्यक नहीं होगा।

10. राजपत्र में अधिसूचना.—वचनपत्र के रूप में बंधपत्र या बंधपत्र के भाग की हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण को आवेदक द्वारा भारत के राजपत्र के या उस स्थान के जहां हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण हुआ है, स्थानीय राजपत्र, यदि कोई हो, के तीन आनुक्रमिक अंकों में तुरन्त अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित प्ररूप में या लगभग वैसे ही प्ररूप में होगी जैसी परिस्थितियां अनुज्ञात करें:

"गुम गया है" (यथास्थिति "चोरी हो गया है", "नष्ट हो गया है", विकृत हो गया है", या "विरूपित हो गया है") ..... प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र सं. ..... के जो ..... रु. का है, मूल रूप से ..... के नाम में है और अंतिम बार ..... स्वत्वधारी को पृष्ठांकित था, उसके द्वारा यह किसी अन्य व्यक्ति को गुम जाने/चोरी/नष्ट/विकृत/विरूपित हो जाने के कारण कभी पृष्ठांकित नहीं किया गया था, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त बंधपत्र और उस पर ब्याज का भुगतान पुरोधारण कार्यालय में रोक दिया गया है और यह कि दूसरी प्रति जारी किए जाने के लिए स्वत्वधारी के पक्ष में आवेदन किया जाने वाला है या किया गया है। जनता को उपर्युक्त बंधपत्र खरीदने या अन्यथा व्यौहार करने से सावधान किया जाता है। अधिसूचना जारी करने वाले व्यक्ति का नाम .....
निवास स्थान .....

11. बंधपत्र की दूसरी प्रति जारी करना और क्षतिपूर्ति लेना: विनियम 10 में विहित अन्तिम अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात विहित अधिकारी, यदि उसे बंधपत्र की हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण की और आवेदक के कब्जे में न्याय होने की सूचना दी जाती है तो वह विनियम 13 के अधीन प्रकाशित सूची में बंधपत्र की विशिष्टियां सम्मिलित करवाएगा और पुरोधरण कार्यालय को आदेश देगा कि वह:—

(क) यदि बंधपत्र का केवल एक भाग गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुआ है और उसका कोई ऐसा भाग जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है, प्रस्तुत किया गया है तो, विनियम 13 के अधीन सूची के प्रकाशन के ठीक पश्चात या ऐसी अवधि की समाप्ति पर जो विहित अधिकारी उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से आवश्यक समझे, इसमें इसके पश्चात वर्णित क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निष्पादन पर, आवेदक को ब्याज का संदाय करे और उसके बंधपत्र के बदले में जिसका एक भाग गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हो गया है, बंधपत्र की एक दूसरी प्रति पुरोधृत करे।

(ख) यदि इस प्रकार गुमे, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बंधपत्र का कोई भाग जो उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है तो:—

(i) इस प्रकार गुमे, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बंधपत्र के बारे में, उक्त सूची के प्रकाशन के दो वर्ष पश्चात और इसमें इसके पश्चात विहित रीति में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के निष्पादन पर, आवेदक को इसमें आगे यथाउपबंधित चार वर्ष की समाप्ति तक ब्याज का संदाय करे; और

(ii) इस प्रकार गुमे, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए बंधपत्र के स्थान पर आवेदक को उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख के चार वर्ष पश्चात दूसरी प्रति जारी करे परन्तु यह तब जब कि

(i) यदि वह तारीख जिसको बंधपत्र प्रतिसंदाय के लिए शोध्य है, उस तारीख से पहले पड़ती है जिसको चार वर्ष की उक्त अवधि समाप्त होती है तो विहित अधिकारी, पूर्वसर तारीख के छह सप्ताह के भीतर बंधपत्र पर देय मूल रकम को डाकघर बचत बैंक में अथवा यदि आवेदक ऐसा चाहता है तो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए बंधपत्रों में जो उस तारीख से जिसको दूसरी प्रति दी जानी है, पहले परिपक्व न हो रहे हों, विनिहित करेगा और इस रकम का और उसके साथ उस पर प्रोद्भूत उस ब्याज का जो ऐसे बैंक में या ऐसे बंधपत्रों में जिनमें विनिधान किया गया है, संदाय आवेदक को ऐसे समय पर करेगा जब अन्यथा बंधपत्र की दूसरी जारी कर दी गई होती; और

(ii) यदि बंधपत्र की दूसरी प्रति के पुरोधृत किए जाने के पूर्व किसी समय मूल बंधपत्र का पता चल जाता है या अन्य कारणों से पुरोधरण कार्यालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आदेश विखंडित किया जाना चाहिए, तो मामला आगे विचार के लिए विहित अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा और इस बीच आदेश पर सभी कार्रवाई निलंबित कर दी जाएगी। इस उप विनियम के अधीन पारित कोई आदेश उसमें निर्दिष्ट चार वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, अन्तिम हो जाएगा, जब तक कि उसे इस बीच विखंडित या अन्यथा उपांतरित नहीं कर दिया जाता है।

(2) विहित अधिकारी, बंधपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व किसी समय, यदि वह पर्याप्त कारण पाता है तो, इस विनियम के अधीन उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को परिवर्तित या रद्द कर सकेगा और यह निदेश भी दे सकेगा कि बंधपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के पूर्व अंतराल का विस्तार चार वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक किया जाएगा जैसा वह उचित समझे।

(3) क्षतिपूर्तियां:—

(i) (क) जब उपविनियम (ख) (I) के अधीन निष्पादित हो तब ब्याज की रकम की दुगनी होगी, अर्थात बंधपत्र पर प्रोद्भूत हो गए सभी पूर्ववर्ती ब्याज की रकम का दुगना धन उस पर उस अवधि के दौरान जो बंधपत्र की दूसरी प्रति पुरोधृत की जा सकने के पूर्व व्यतीत करनी होगी, शोध्य होने वाले सभी ब्याज की रकम का दुगना; और

(ख) सभी अन्य मामलों में, बंधपत्र के अंकित मूल्य की दुगनी धन खंड (क) के अनुसार संगणित ब्याज की रकम की दुगनी होगी।

(ii) विहित अधिकारी यह निदेश कर सकेगा कि ऐसी क्षतिपूर्ति अकेले आवेदक द्वारा या आवेदक और उसके द्वारा अनुमोदित एक या दो प्रतिभूतों द्वारा, जैसा वह उचित समझे, निष्पादित की जाएगी।

12. स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में बंधपत्र के गुम हो जाने, आदि के समय प्रक्रिया:

(1) किसी स्टाक प्रमाणपत्र के जिसके पूर्णतः या भागतः, गुम, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हो जाने का अभिकथन है, के स्थान पर दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन पुरोधरण कार्यालय को भेजा जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा:

(क) यदि वह पत्र जिसमें स्टाक प्रमाणपत्र है, रजिस्ट्री डाक से भेजने में गुम हो गया है तो, उसकी डाकघर रजिस्ट्री रसीद;

(ख) यदि पुलिस को गुम हो जाने या चोरी की रिपोर्ट की गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की प्रति;

(ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष यह साक्ष्य देते हुए कि आवेदक स्टाक प्रमाणपत्र का विधिक धारक है और यह कि स्टाक प्रमाणपत्र न तो उसके कब्जे में है और न ही उसके द्वारा अंतरिम, गिरवी या अन्यथा ग्वारा किया गया है, लिया गया शपथपत्र; और

(घ) कोई ऐसे भाग या खंड जो गुमे, चोरी, नष्ट, विकृत या विरूपित हुए स्टाक प्रमाणपत्र के अवशेष हों।

(2) आवेदन में उन परिस्थितियों का कथन किया जाएगा जिनकी वजह से हानि हुई है।

(3) यदि विहित अधिकारी का स्टाक प्रमाणपत्र की हानि, चोरी, विनाश, विकृति या विरूपण के संबंध में समाधान हो जाता है तो वह मूल प्रमाणपत्र के बदले में स्टाक प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने का निर्देश करेगा।

IndiaCode

13. सूची का प्रकाशन :

(1) विनियमन 11 में निर्दिष्ट सूची भारत के राजपत्र में जनवरी और जुलाई मास में या उसके पश्चात् यथाशीघ्र, जैसा सुविधाजनक हो, अर्द्ध वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी।

(2) सभी बंधपत्र जिनकी बाबत विनियम 11 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, ऐसे आदेश के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् प्रकाशित पहली सूची में सम्मिलित किए जाएंगे और उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र प्रत्येक अनुवर्ती सूची में तब तक सम्मिलित किए जाने के लिए बने रहेंगे जब तक कि प्रथम प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं।

(3) सूची में, उसमें सम्मिलित किए गए प्रत्येक बंधपत्र के बारे में निम्नलिखित विशिष्टियां, होंगी, अर्थात्, पुरोधरण का नाम, बंधपत्र का संख्यांक, उसका मूल्य, उस व्यक्ति का नाम जिसको बंधपत्र पुरोधृत किया गया है, वह तारीख जिससे उसमें ब्याज मिलता है, दूसरी प्रति के लिए आवेदक का नाम, ब्याज के संदाय और दूसरी प्रति दिए जाने के लिए विहित अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश का संख्यांक और तारीख, और उस सूची के जिसमें बंधपत्र पहली बार सम्मिलित किया गया था, प्रकाशन की तारीख।

14. दूसरी प्रति जारी करने की अपेक्षा करने वाले बंधपत्र के रूप में किसी विकृत बंधपत्र का अभिधारण :

विहित अधिकारी को यह विकल्प होगा कि वह किसी बंधपत्र को जिसे विकृत या विकर्पित किया गया है, ऐसे बंधपत्र के रूप में माने जो विनियम 11 के अधीन दूसरी प्रति के पुरोधरण या विनियम 17 के अधीन माल नवीकरण की अपेक्षा करता है।

15. वचनपत्र के रूप में किसी बंधपत्र को नवीकृत किए जाने की आवश्यकता कब हो सकती है :

(1) वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के किसी धारक से पुरोधरण कार्यालय द्वारा यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह उसे निम्नलिखित दशाओं में से किसी दशा में नवीकरण के लिए प्राप्त कर ले, अर्थात् :

(क) यदि बंधपत्र के पीछे भाग पर एक और पृष्ठांकन के लिए या पर्याप्त जगह है अथवा यदि बंधपत्र पर विद्यमान पृष्ठांकन पृष्ठांकनों से आगे कोई शब्द लिखा जाता है;

(ख) यदि पुरोधरण कार्यालय की राय में बंधपत्र फटा है या किसी भी रूप में नुकसानग्रस्त है या उस पर कुछ लिखा गया या अनुपयुक्त है;

(ग) यदि बंधपत्र के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकन स्पष्ट और सुविज्ञ नहीं है या उससे यथास्थिति पाने वाले का नाम या पाने वालों के नामों का पता नहीं चलता है या पृष्ठांकन के किसी अंध कोष्ठक से भिन्न स्थान पर पृष्ठांकन किया जाता है;

(घ) यदि बंधपत्र पर ब्याज दस वर्ष या उससे अधिक समय से असंदत्त पड़ा हुआ है;

(ङ) यदि बंधपत्र के पृष्ठ भाग पर ब्याज के अंध कोष्ठक पूरी तरह भर चुके हैं या यदि बंधपत्र के पृष्ठ भाग पर खाली मुद्रित अंध कोष्ठक उन अर्द्ध वर्षों के जिनके लिए ब्याज उस तारीख को देय हो गया है जब बंधपत्र ब्याज निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अनुरूप नहीं है;

(च) यदि बंधपत्र ब्याज के संदाय के लिए तीन बार मूल्यांकित किए जाने पर पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है; और

(छ) यदि पुरोधरण कार्यालय की राय में, ब्याज के संदाय के लिए बंधपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का हक अभिनिश्चित है या पूरी तरह साबित नहीं हुआ है।

(2) जब बंधपत्र के नवीकरण की अपेक्षा उपविनियम (1) के अधीन की गई है तब उस पर और ब्याज के संदाय से तब तक इंकार किया जाएगा जब तक वह नवीकरण के लिए प्राप्त नहीं हो जाता है वास्तव में नवीकृत नहीं कर दिया जाता है।

16. वह व्यक्ति जिसके किसी मृत एकमात्र धारक के बंधपत्र पर हक को मान्यता दी जा सकेगी :

(1) किसी बंधपत्र के किसी मृत एकमात्र धारक के (चाहे वह मुसलमान, पारसी हो या अन्य हो) निष्पादक या प्रशासक या किसी बंधपत्र की बाबत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम सं. 39) के भाग 10 के अधीन जारी किए गए किसी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक केवल वही व्यक्ति होंगे जिन्हें पुरोधरण कार्यालय द्वारा (विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए) बंधपत्र पर हक होने के संबंध में मान्यता प्राप्त की जा सकेगी।

(2) भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम सं. 9) की धारा 45 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई बंधपत्र दो या अधिक धारकों को पुरोधृत, विक्रय किया जाता है या संदेय हो जाता है तो उत्तरजीवी वह व्यक्ति होगा और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाने पर उसके निष्पादक, प्रशासक या ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे बंधपत्र के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक है, केवल वह व्यक्ति जिसे पुरोधरण कार्यालय द्वारा (विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के अधीन रहते हुए) बंधपत्र पर हक होने के संबंध में मान्यता प्रदान की जा सकेगी।

(3) पुरोधरण कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि उन्होंने, यथास्थिति भारत में पुरोधरण कार्यालय के स्थान पर अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय का कार्यालय से प्रोबेट या प्रशासन पत्र या अन्य विधिक अभ्यावेदन प्राप्त न कर लिया हो : परन्तु ऐसी किसी भी दशा में जहां विहित अधिकारी के, अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे, लिए यह विनिश्चय होगा कि वह क्षतिपूर्ति या अन्यथा के संबंध में ऐसे निबंधकों पर जैसे वह उचित समझे, प्रोबेट, प्रशासन पत्र या अन्य विधिक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से अभिमुक्ति प्रदान करे।

17. नवीकरण, आदि के लिए रसीद :

(1) विहित अधिकारी के किन्हीं साधारण या विशेष अनुदेशों के रहते हुए, पुरोधरण कार्यालय, अपने आदेश से, धारक के आवेदन पर,—

(क) उसके द्वारा वचनपत्र या पत्रों के रूप में बंधपत्र या बंधपत्रों का परिदान करने पर और उसके बारे के न्याय के संबंध में पुरोधरण कार्यालय का समाधान कर देने पर, वचनपत्र या पत्रों को नवीकृत या उपविभाजित या समेकित कर सकेगा : परन्तु यह तब जब कि पत्र यथास्थिति प्ररूप 6, प्ररूप 7 या प्ररूप 8 में प्राप्त किया गया हो या किए गए हों; या

(ख) वचनपत्र या पत्रों को स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों में संपरिवर्तित कर सकेगा : परन्तु यह तब जब कि पत्र या पत्रों को निम्नलिखित रूप में पृष्ठांकित किया गया है :

"राष्ट्रीय आवास बैंक को संदाय करें" या

(ग) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों का नवीकरण उप-विभाजन या समेकन कर सकेगा : परन्तु यह तब जब कि स्टाक प्रमाणपत्रों की, यथास्थिति, प्रपत्र 9, 10 या 11 में प्राप्त किया गया है; या

(ब) स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्र या वचनपत्रों में संपरिवर्तित कर सकेगा : परन्तु यह तब जबकि स्टाक प्रमाणपत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को प्ररूप 12 में प्राप्त किया गया है; या

(ग) एक श्रंखला के बंधपत्रों को किसी अन्य श्रंखला में संपरिवर्तित कर सकेगा। परन्तु यह तब जब कि,—

(i) अंतर श्रंखला संपरिवर्तन अनुज्ञेय हो, और

(ii) ऐसे संपरिवर्तन को शासित करने वाली शर्तों का पालन किया जाता हो।

(2) पुरोधरण कार्यालय, विहित अधिकारी के आदेशों के अधीन आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपविनियम (1) के अधीन किसी बंधपत्र के नवीकरण, उपविभाजन या समेकन के लिए उसके द्वारा अनुमोदित एक प्रतिभू या अधिक प्रतिभूओं के साथ रूप 13 में क्षतिपूर्ति पत्र निष्पादित करे।

18. हक के बारे में विवाद की दशा में बंधपत्र का नवीकरण :

जब ऐसे किसी बंधपत्र के जिसकी बाबत नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है, हक के बारे में कोई विवाद है वहां विहित अधिकारी,

(क) जहां विवाद के किसी पक्षकार ने सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय से अंतिम विनिश्चय प्राप्त कर लिया है जिसमें उसे ऐसे बंधपत्र का हकदार घोषित किया गया है, वहां ऐसे पक्षकार के पक्ष में नवीकृत बंधपत्र जारी कर सकेगा; या

(ख) जब तक ऐसा विनिश्चय प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, बंधपत्र का नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "अंतिम विनिश्चय" पद से ऐसा विनिश्चय अभिप्रेत है जो अपीलनिय है या ऐसा विनिश्चय अभिप्रेत है जो अपीलनिय है किन्तु जिसके विरुद्ध विधि द्वारा अनुज्ञात परिसीमा अवधि के भीतर कोई अपील फाइल नहीं की गई है।

19. नवीकृत बंधपत्र आदि की बाबत दायित्व :

जब किसी व्यक्ति के पक्ष में विनियम 11 के अधीन बंधपत्र की दूसरी प्रति पुरोधृत की गई या विनियम 17 के अधीन एक नवीकृत बंधपत्र पुरोधृत किया गया है या उपविभाजन या समेकन पर एक नया बंधपत्र पुरोधृत किया गया है तब इसप्रकार पुरोधृत बंधपत्र के बारे में यह समझा जाए कि राष्ट्रीय आवास बैंक और ऐसे व्यक्ति तथा उसके पश्चात् उसके माध्यम से हक प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक नई संविदा का गठन हुआ है।

20. उन्मोचन :

राष्ट्रीय आवास बैंक को, परिपक्वता पर संदत्त बंधपत्र या बंधपत्रों की बाबत या जिनके बदले में बंधपत्र की दूसरी प्रति पुरोधृत की गई है या नवीकृत उपविभाजित या समेकित बंधपत्र पुरोधृत किया गया है या किए गए हैं :—

(क) संदाय की दशा में, उस तारीख से जिसको संदाय देय था, चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्,

(ख) बंधपत्र की दूसरी प्रति की दशा में, ऐसी सूची के जिसमें बंधपत्र का पहली बार वर्णन किया गया है, विनियम 13 के अधीन*** प्रकाशन की तारीख से या मूल बंधपत्र पर ब्याज संदाय की तारीख से, इनमें से जो भी तारीख पश्चात्वर्ती हो, चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्

(ग) नवीकृत बंधपत्र या उपविभाजन या समेकन पर पुरोधृत किसी नए बंधपत्र की दशा में, उसके पुरोधरण की तारीख से चार वर्ष बीत जाने के पश्चात्,

सभी दायित्वों से उन्मोचित कर दिया जाएगा।

21. ब्याज की बाबत उन्मोचन :

बंधपत्र के निबंधनों में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति किसी ऐसी अवधि की बाबत इन पूर्वतन तारीखों के पश्चात् जिसको ऐसे बंधपत्र पर देय रकम के संदाय के लिए मांग की जा सकती थी, बीत गई है, किसी ऐसे बंधपत्र पर ब्य संदाय करने का हकदार नहीं होगा।

22. किसी बंधपत्र का उन्मोचन :

(क) जब वचनपत्र या स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में धारित कोई बंधपत्र मूल धन संदाय के लिए शोध्य हो जाता है तब बंधपत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यालय में जहां उस पर ब्याज संदेय है या पुरोधरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा और उसकी पीठ की तरफ धारक द्वारा सम्यकतः हस्ताक्षर किए जाएंगे,

(ख) जहां खाते में प्रविष्टि के रूप में कोई बंधपत्र मूल धन के संदाय के लिए शोध्य हो जाता है वहां धारक द्वारा प्ररूप 14 में सम्यकतः हस्ताक्षरित एक रसीद पुरोधरण कार्यालय को दी जाएगी।

अनुसूची

प्ररूप 1

[विनियम 3(3) देखिए]

अंतरण का प्ररूप

मैं/हम----------इसके द्वारा----------प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र, जो----------रु. के हैं और ----------का स्टाक प्रमाणपत्र/उसका एक भाग है, जैसा कि इस लिखत के मसौदा भाग पर विनिर्दिष्ट है, और उसके साथ उस पर प्रोद्भूत ब्याज----------, अंतर्लिखित स्टाक में अपना हित या अंश----------,,उसके/उनके निष्पादकों, प्रशासकों या समनुदेशितियों को समनुदेशित और अंतरित करता हूं/करते हैं और मैं/हम----------उस सीमा तक अंतरित उपर्युक्त स्टाक को जितना मुझे/हमें अंतरित किया गया है, निबंधित रूप से स्वीकार करता हूं/करते हैं।

मैं/हम@———— ——————————यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें अंतरित स्टाक के धारक/धारकों के रूप में मुझे/हमें@ रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्र उस सीमा तक जितना वह मुझे/हमें अंतरित किया गया है, मेरे/हमारे नाम पर नवीकृत किया जाए ।

संपरिवर्तित किया जाए ।@

**मैं/हम@——————————यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त अंतरिती (अंतरितियों)@ के/इसके द्वारा उसे/उन्हें@ अंतरित स्टाक के धारक (धारकों)@ के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने पर, उपर्युक्त स्टाक प्रमाणपत्र उस सीमा तक जितना वह उसे/उन्हें@ अंतरित किया गया है, मेरे/हमारे@ नाम पर नवीकृत किया जाए ।

इसके साक्ष्यस्वरूप अवरनामित अंतरक ने आज ——————————

——————————को——————————*की उपस्थिति

हस्ताक्षर किए ।

अपर नामित अंतरक ने

———————— —*की अंतरक ——————————————

उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

पता——————————————

ऊपर नामित अंतरिती ने*

——————————————की——————————————

उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

(अंतरिती) ——————————

@जो विकल्प लागू न हो उसे काट दें ।

**इस पैरा का उपयोग तभी किया जाए जब स्टाक प्रमाणपत्र का कोई एक भाग अंतरित होता है ।

*सभी के हस्ताक्षर, उपजीविका और पता ।

प्ररूप 2

[विनियम 3 (4) (ग) देखिए)]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र का राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते की एक प्रविष्टि में संपरिवर्तन के लिए अभ्यर्पण ।

तारीख——————19——————

सेवा में,

प्रबंधक
बंधपत्र अनुभाग
राष्ट्रीय आवास बैंक,
मुम्बई ।

प्रिय महोदय,

सर्वश्री —————— प्रविष्टि राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र——— ——— ——(शृंखला)—— ——— ——— ——— ——— ——— ———

हम यह घोषणा करते हैं कि——————————रु. के सकल अंकित मूल्य के वचनपत्र के रूप में पुरोवृत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र जिसकी सूची इसमें पीछे दी गई, हमारी संपत्ति है/हैं और यह अनुरोध करते हैं कि हमें उसे/उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे जाने वाले खाते में एक प्रविष्टि के रूप में अपने नाम में धारित करने के लिए अनुज्ञात किया जाए । इस प्रयोजन के लिए हम राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में सम्यकतः पृष्ठांकित सुसंगत बंधपत्र विलेख इससे साथ अभ्यर्पित करते हैं । उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) जिसे/जिन्हें खाते के प्रचर्तन के लिए प्राधिकृत किया गया है, नाम, पदाभिधान और नमूना हस्ताक्षर पीछे की तरफ दिए गए विवरण के अनुसार है ।

इस संबंध में, हम आपके पक्ष में सम्यकतः स्थापित और आपके प्रारूप के अनुसार हमारी ओर से सम्यकतः निष्पादित क्षतिपूर्ति विलेख इससे संलग्न कर रहे हैं ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया सम्यक् अनुक्रमों में राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र धारण करने का प्रमाणपत्र और हमारी क्षति का कालिक विवरण ऊपर दिए गए पते पर हमें भेज दें ।

इस बीच कृपया इसकी पावती भेज दें ।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) उसके सम्यकतः प्राधिकृत

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ——————

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) का (के) नाम——

इससे संलग्न बंधपत्र स्क्रिपों की सूची

वचनपत्र का अंकित मूल्यों में, वर्णन निम्नलिखित है :—

1. ——————रु. का बंधपत्र स्क्रिप सं. ——————
तारीख ——————(—————— शृंखला)

2. ——————रु. का बंधपत्र स्क्रिप सं. ——————
तारीख—————— (—————— शृंखला)

3 ——————रु. का बंधपत्र स्क्रिप सं. ——————
तारीख —————— (—————— शृंखला)
बंधपत्र स्क्रिपों का सकल अंकित मूल्य——————रु
नमूना हस्ताक्षर ——————————
एकल संयुक्त/अलग अलग या उत्तरजीवी

नाम : 1 ————— पदनाम

2. ————— पदनाम ————

पता : ——————————————
——————————————
——————————————

टेलीफोन ——————— टेलेक्स———————

अनुलग्नक —(i) ——————रु. के सकल मूल्य की बंधपत्र स्क्रिपें

(ii) क्षतिपूर्ति विलेख ।

IndiaCode

प्रपत्र 3

[विनियम 3(4) (ङ) देखिए]

राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में प्रविष्टि के रूप में धारित बंधपत्रों के बदले में बंधपत्र स्क्रिपों के पुरोधारण के लिए अध्यादेश।

सेवा में,

प्रबंधक
बंधपत्र अनुभाग,
राष्ट्रीय आवास बैंक
मुम्बई।

प्रिय महोदय,

संदर्भ :---------प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र ---------(---------शृंखला)

हम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविष्टि के रूप में हमारे द्वारा धारित बंधपत्रों की बाबत राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत धृति प्रमाणपत्र इसके साथ अग्रेषित करते हैं।

हमारा अनुरोध है कि कृपया, इस संबंध में बंधपत्र की शेष रकम की बाबत जो राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे गए खाते में एक प्रविष्टि के रूप में धारित बनी हुई है, नए धृति प्रमाणपत्र के साथ हमारे बंधपत्र स्क्रिप ऊपर दिए गए हमारे पते पर रजिस्ट्री डाक से हमें भेज दिए जाएं।

इस बीच कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक (धारकों) या उसके सम्यक-प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर---------

रजिस्ट्रीकृत धारक (कों) का (के) नाम---------

अपेक्षित वचनपत्र का ब्यौरा

1. धृति प्रमाणपत्र सं. ---------तारीख ---------
---------रु. (---------शृंखला)

2. धृति प्रमाणपत्र सं. ---------तारीख---------
---------रु (---------शृंखला)

3. धृति प्रमाणपत्र सं. ---------तारीख---------
---------रु. ---------

बंधपत्रों का सकल अंकित मूल्य---------रु.

इनमें से कृपया नीचे वर्णित अंकित मूल्यों में बंधपत्र स्क्रिपों के पुरोधारण की व्यवस्था करें:

| अंकित मूल्य | संख्या | सकल अंकित मूल्य |
|---|---|---|
| (1) 1,000 रु. प्रत्येक-- | -- | रु. |
| (2) 10,000 रु. प्रत्येक-- | -- | रु. |

--------- रु. के सकल मूल्य की कुल---------स्क्रिप।

हमारा अनुरोध है कि बंधपत्रों की शेष रकम राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखे गये खाते में एक प्रविष्टि के रूप में धारित रखी जाए।

प्रपत्र 4

[विनियम 3(4) (छ) देखिए]

राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्र के अंतरण का प्रपत्र

हम, ---------जो राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में एक प्रविष्टि के रूप में बंधपत्रों के धारक हैं---------को और उसके पक्ष में---------रु. तक की अपनी धृति जो हमारे बंधपत्र का संपूर्ण भाग/अंश है और उसके साथ उस पर प्रोद्भूत ---------तक का ब्याज समनुदेशित और अंतरित करते हैं।

हम ---------उपर्युक्त बंधपत्र के अपने नाम पर अंतरण को निर्विधि रूप से स्वीकार करते हैं।

आज तारीख---------को हमने इस पर हस्ताक्षर कर दिए ऊपर नामित---------(विक्रेता) ने---------की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ऊपर नामित ---------(क्रेता) ने---------की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

टिप्पण — जिस राज्य में यह निष्पादित किया जाता है, वहां के स्थानीय स्टाम्प अधिनियम द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 62(ग) के अधीन स्टैम्पित किया जाए।

5

[विनियम 5(2) (ख) (iii) देखिए]

स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में पुरोधृत बंधपत्र के नवीकरण के लिए रसीद का प्रपत्र

--------- के पक्ष में---------रु० का---------प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र,--------- का नवीकृत स्टाक प्रमाणपत्र और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक,--------- ---------द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।

राष्ट्रीकृत धारक के (रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)---------के सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर---------

प्रपत्र 6

[विनियम (7)(1)(क) देखिए]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्रपत्र

--------- को संदेय नवीकृत वचनपत्र
(धारक का नाम)
और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक, --- ---------द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।

धारक के ---------के सम्यकतः प्राधिकृत
(धारक का नाम)
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर---------

प्ररूप 7

[विनियम 17(1)(क) देखिए]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

----------को संदेय क्रमशः ----------रु.

(धारक का नाम)

के ----------वचनपत्र और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक,----------द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया

धारक के----------के

(धारक का नाम)

सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर----------

प्ररूप 8

[विनियम 17 (1) (क) देखिए]

वचनपत्र के रूप में बंधपत्रों के समेकन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

----------को संदेय ----------रु.

(धारक का नाम)

के वचनपत्र को जो वचनपत्र सं.----------, ---------- के साथ समेकित (इसके साथ समेकित किए जाने के लिए वांछित अन्य पत्र(पत्रों) का(के) संख्यांक और रकम (रकमें) उनके पुरोधरण को विनिर्दिष्ट करते हुए, वर्णित करें/और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक ----------द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।

धारक ----------के

(धारक का नाम)

सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर----------

प्ररूप—9

[विनियम (17)(1)(ग) देखिए]

स्टाक प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

"---------- प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र ----------का---------रु. का नवीकृत

(वर्ष)

स्टाक प्रमाणपत्र जो----------के

म में है और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक,----------के द्वारा संदेय है, इसके बदले में प्राप्त किया।"

रजिस्ट्रीकृत धारक को---------- के सम्यकतः

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्ररूप 10

(विनियम 17(1)(ग) देखिए)

स्टाक प्रमाणपत्र के उप-विभाजन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप क

----------प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र ----------के---------- रु.

के रूप स्टाक प्रमाणपत्र----------के बदले में स्टाक प्रमाणपत्र और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक----------द्वारा

(स्थान)

संदेय है, प्राप्त किया।

रजिस्ट्रीकृत धारक के----------

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर।

प्ररूप 11

[विनियम 17(1)(ग) देखिए]

स्टाक प्रमाणपत्र के समेकन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

----------प्रतिशत, राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र----------

के क्रमशः----------रु. के स्टाक प्रमाणपत्र सं.----------के बदले में----------प्रतिशत राष्ट्रीय आवास बैंक बंधपत्र,----------का----------रु. का स्टाक प्रमाणपत्र और ब्याज जो राष्ट्रीय आवास बैंक---------- द्वारा संदेय है, प्राप्त किया।

रजिस्ट्रीकृत धारक के----------के

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर----------

प्ररूप 12

[विनियम 17(1)(घ) देखिए]

स्टाक प्रमाणपत्रों को वचनपत्रों में संपरिवर्तन के लिए पृष्ठांकन का प्ररूप

इस स्टाक प्रमाणपत्र सं.----------के बदले में----------रु. प्रत्येक के वचनपत्र (उसके साथ ---- रु. की अतिशेष रकम के लिए नया स्टाक प्रमाणपत्र) और ब्याज, जो राष्ट्रीय आवास बैंक, द्वारा संदेय है, प्राप्त किया।

रजिस्ट्रीकृत धारक के----------

(रजिस्ट्रीकृत धारक का नाम)

के सम्यकतः प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्ररूप 13

[विनियम 17(2) देखिए]

इस विलेख द्वारा यह सबको ज्ञात हो कि हम ----------

(मूल ऋणी

----------जो ----------का

का नाम)

पुत्र है----------का निवासी है तथा

---------- जो ----------का

(प्रतिभू सं. 1)

पुत्र है और----------का निवासी है तथा----------

---------- जो----------का

(प्रतिभू सं. 2)

पुत्र है और----------का निवासी है, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अधीन यथास्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक" कहा गया है,---------- रु. की रकम का उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक, उसके अटर्नियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को संदाय करने के लिए इसके द्वारा स्वयं को और हम में से प्रत्येक और अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों में हर एक को संयुक्ततः और अलग-अलग आबद्ध करते हैं।

और मैं/हम में से प्रत्येक उक्त----------

(मूल ऋणी का नाम)

और ---------- उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ

(प्रतिभू के प्रतिभूओं के ना

यह प्रसंविदा करता हूं/करते हैं कि यदि इस बाध्यता या इसमें नीचे लिखी

शर्तों की विषय वस्तु से संसक्त कोई वाद मुम्बई उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय में लाया जाता है तो उसे, उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक के आग्रह पर, चाहे जो भी ऐसे वाद का पक्षकार हो, उक्त उच्च न्यायालय द्वारा मुम्बई में अपनी असाधारण मूल सिविल अधिकारिता में ले जाया जा सकेगा और उनके द्वारा विचारित और अवधारित किया जा सकेगा ।

उक्त ----------ने उक्त राष्ट्रीय
(मूल ऋणी का नाम)

आवास बैंक द्वारा पुरोधृत और इसकी अनुसूची में वर्णित बंधपत्रों) के नवीकरण/समेकन/उपविभाजन के लिए, उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक को आवेदन किया है ।

और उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक ने उक्त----------
(मूल ऋणी का नाम)

और दो अच्छे और पर्याप्त प्रतिभूओं के, इसमें नीचे लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऊपर लिखित बंधपत्र लिखने और निष्पादित करने पर सम्मति दी है और वह उक्त आवेदन को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है ।

और उपर्युक्त आबद्ध----------
(प्रतिभू/प्रतिभूओं के नाम)

उक्त----------के अनुरोध पर उक्त----------
(मूल ऋणी का नाम)

----------के लिए प्रतिभू बनने के लिए और उक्त
(मूल ऋणी का नाम)

----------के साथ ऊपर लिखित बंधपत्र निष्पादित
(मूल ऋणी का नाम)

करने के लिए सहमत हो गया है/गए हैं । ऊपर लिखित बंधपत्र की शर्त यह है कि यदि उपर्युक्त आबद्ध----------
(मूल ऋणी का नाम)

और----------या उनमें से प्रत्येक या उसके/उनके
(प्रतिभू या प्रतिभूओं का नाम)

वारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि या कोई या उनमें से कोई इसके पश्चात् समय-समय पर और सभी समय पर उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक को इसकी अनुसूची में वर्णित उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुरोधृत बंधपत्रों और उस पर ब्याज के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के और उक्त बंधपत्र या उसके नवीकरण या उस ब्याज के संदाय की बाबत अन्य व्यक्तियों के, जो भी हों, दावों और मांगों से या उसके विरुद्ध और ऐसे सभी नुकसानियों/हानियों, खर्चों, प्रभारों और व्ययों से या उनके विरुद्ध जो उक्त आवास बैंक किसी ऐसे दावे या भंग के लिए या के परिणामस्वरूप या यथापूर्वोक्त नवीकृत बंधपत्र (त्रों) के पुरोधरण या उक्त बंधपत्र(त्रों) या नवीकृत बंधपत्रों पर कोई ब्याज के संदाय के कारण उठाए, उपगत करे, या पायी हो, उक्त राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रभावी रूप से बचाएंगे, रक्षा करेंगे, अपहानिरहित और क्षतिपूरित रखेंगे तो उपर्युक्त बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील होगा

उक्त----------ने----------और
(मूल ऋणी का नाम)

----------की उपस्थिति में आज तारीख----------
को हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।

इसमें निर्दिष्ट अनुसूची

| बंधपत्र का स्वरूप और वर्णन | संख्यांक | पुरोधरण की तारीख | रकम |
|---|---|---|---|

प्ररूप 14

[विनियम 22(ख) देखिए]

राष्ट्रीय आवास बैंक के खाते में प्रतिभूति के रूप में धारित बंधपत्रों के लिए उन्मोचन का प्ररूप

सेवा में,

प्रबंधक,
बंधपत्र अनुभाग,
राष्ट्रीय आवास बैंक,
मुम्बई ।

प्रिय महोदय,

संदर्भ :---------- प्रतिशत, राष्ट्रीय आवास बैंक ----------बंधपत्र---------- (----शृंखला)

---

राष्ट्रीय आवास बैंक की बहियों में---------- (बंधपत्र धारक) के जमा खाते में एक प्रतिभूति के रूप में धारित ---------- ----------रु. (---------- रु.) के अभिहित अंकित मूल्य के बंधित बंधपत्र(त्रों) पर परिपक्वता की तारीख को प्रोद्भूत ब्याज सहित मूल रकम प्राप्त की । प्रमाणित किया जाता है कि बंधपत्र(त्रों) की अभिहित रकम और परिपक्वता की तारीख को प्राएभूत ब्याज मेरी/हमारी बहियों के अनुकूल है ।

भवदीय,

रजिस्ट्रीकृत धारक(त्रों) के उसके सम्यकतः प्राधिकृत

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ----------
रजिस्ट्रीकृत धारक(त्रों) का (के) नाम----------
तारीख :
स्थान :

[फा. 7(12) 89-सी पी]

के. एस. शास्त्री, अध्यक्ष,
राष्ट्रीय आवास बैंक

## NATIONAL HOUSING BANK

## NOTIFICATION

New Delhi, 31st July 1989

(Incorporated under the National Housing Bank Act, 1987)

(53 of 1987)

## NATIONAL HOUSING BANK (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS 1989.

S.O. 600(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the National Housing Bank, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and application :

(1) These regulations may be called the NATIONAL HOUSING BANK (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1989.

(2) They shall apply to :

(a) bonds series No. 1 issued and sold by the National Housing Bank and such other series as may be issued by the National Housing Bank till coming into force of these regulations.

(b) the bonds issued and sold by the National Housing Bank from the date of coming into force of these regulations.

2. Definitions :

In these regulations unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "The Act" means the NATIONAL HOUSING BANK ACT, 1987 (53 of 1987);

"Bonds" means the bonds issued and sold by the National Housing Bank under clause (a) of sub section (1) of section 15 of the Act, whether before or after the coming into force of these regulations;

(c) "Defaced Bond" means a bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material parts of a bond are those where :—

(i) the number, the issue to which it appertains and the face value of the bond, or payments of interest are recorded, or

(ii) the endorsement or the name of the payee is written, or

(iii) the renewal receipt or the memorandum of transfer is supplied;

(d) "Form" means a form as set out in the schedule to these regulations;

(e) "Lost Bond" means a bond which has actually been lost and shall not mean a bond which is in possession of some person adversely to the claimant;

(f) "Mutilated Bond" means a bond which has been destroyed, torn or damaged in material parts thereof;

(g) "Office of Issue" means the Office of the National Housing Bank on the books of which a bond is registered or may be registered;

(h) "Prescribed Officer" means such officers of National Housing Bank as may be authorised by the Board of Directors of the National Housing Bank for purposes of regulations 11, 12, 13, 14, 16, 17 and 18.

(i) "Stock Certificate" means a stock certificate issued under regulation 3.

3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof etc.

(1) A Bond may be issued by the National Housing Bank in the form of :—

(a) a promissory note payable to or to the order, of a certain person, or

(b) a stock certificate for stock registered in the books of the National Housing Bank.

(2) (i) A Bond issued in the form of promissory note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.

(ii) No writing on a Bond issued in the form of a promissory note shall be valid for the purpose of negotiation if such writing purports to transfer only a part of the amount denominated by the Bond.

(3) A Bond issued in the form of stock certificate and registered in the books of the National Housing Bank shall transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form I. The transfer or in such a case shall be deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of stock certificate to which the transfer relates until the name of the transferee is registered by the National Housing Bank.

(4) (a) Notwithstanding anything to the contrary in sub-regulation (1) hereof contained the National Housing Bank may, at the request of the person entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the National Housing Bank in the name of the person entitled to the Bonds.

(b) The Bonds may be so issued in the form of an entry in the books of accounts of the National Housing Bank either initially at the time of subscription to the Bonds or subsequently by conversion of the Bonds issued either in the form of a promissory note or stock certificate.

(c) If a Bond has already been issued in the form of promissory note, the Bond holder desirous of holding it in the form of an entry in an account with the National Housing Bank shall make requisition in Form II and surrender the Bond duly endorsed in favour of the National Housing Bank for the Bond being held in the form of an entry in an account in the books of the National Housing Bank.

(d) If the Bond has been issued in the form of stock certificate, the holder shall transfer the Bond in favour of the National Housing Bank with a request that the Bond may be held in the form of an entry in an account to be maintained by the National Housing Bank in the name of the holder.

(e) A person holding Bonds in the form of an entry in an account maintained by the National Housing Bank may have the Bonds transferred or converted in the form of a promissory note or a stock certificate by making an application in Form III.

(f) No fee is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the National Housing Bank or converting Bonds already issued either in the form of a promissory note or stock certificate in the form of an entry in the books of the National Housing Bank or vice versa.

(g) Bonds issued or held in the form of an entry in the books of the National Housing Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in Form IV. The transferor in such cases shall be deemed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferee is entered in the books of the National Housing Bank.

(5) (i) A Bond shall be issued over the signature of the Chairman of the National Housing Bank which may be printed, engraved or lithographed or impressed by such other mechanicial proces as the National Housing Bank may direct.

(ii) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.

(6) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of stock certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly, constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.

4. Trust not recognised :

(i) The National Housing Bank shall not be bound or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or any right in respect of a bond other than an absolute right thereto in the holder.

(ii) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (i), the National Housing Bank may as an act of grace and without liability to the National Housing Bank record in its books such directions by the holder Bond issued in the form of stock certificate for the payment of interest on or of the maturity value of or the transfer of or such matters relating to the stock certificate as the National Housing Bank thinks fit.

5. Provisions for holding Bonds issued in the form of the stock certificate by trustees and office holders.

(1) A Bond in the form of stock certificate may be held by a holder of an office—

(a) in his personal name, described in the books of the National Housing Bank and in the stock certificate, as a trustee, whether as a trustee, of the trust specified in his application or as a trustee without any such classification, or

(b) by the name of his office.

(2) On an application made in writing to the National Housing Bank in the Form required by the national Housing Bank the person in whose name a Bond stands and on surrender of the Bond the National Housing Bank may —

(a) make an entry in its book describing him as a trustee of a specified trust or as a trust without specification of any trust and issue a stock certificate in his name described as trustee with or without the specification of the trust as the case may be, or

(b) issue a stock certificate to him by the name of his office and make an entry in its books describing him as the holder of the stock by the name of his office, according to the applicant's request, provided —

(i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof,

(ii) the necessary evidence required by the national Housing bank in terms of sub-regulation (7) has been furnised; and

(iii) the Bond if it is in the form of promissory note has been endorsed in favour of the National Housing Bank and if in the form of stock certificate has been recepited by the registered holder in Form V.

(3) The stock certificate under sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.

(4) When the stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the stock certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the stock certificate is held as if his personal name were so stated.

(5) Where any transfer-deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a stock certificate holder described in the books of the National Housing Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the National Housing Bank, the National Housing Bank shall not be concerned to inquire whether the stock certificate holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execute such deed or other document, and may act on the transfer-deed, power of attorney or document in the same manner as though the executant is stock certificate holder is or is not described in the transfer-deed, power of attorney or document as a trustee or as a holder of an office and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attorney or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.

(6) Nothing in these regulations shall, as between any trustee or office holders, or as between any trustee or office holders, and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust, the terms of the instrument constituting the trust, or the rules governing the association of which the stock certificate holder is a holder of an office and neither the National Housing Bank nor any person holding

or acquiring any interest in any stock certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the National Housing Bank nor any person holding or acquiring any interest in any stock certificate shall by reason only of any entry in any register maintained by the National Housing Bank in relation to any stock certificate or any stock certificate holder or of anything in any document relating to stock certificate be affected with notice of any trust or of the fiduciary character of any stock certificate holder or of any fiduciary obligation attaching to the holding of any stock certificate.

(7) Before acting on any application made, or on any document purporting to be executed, in pursuance of this regulation by a person as being the holder of any office, the National Housing Bank may require the production of evidence that such person is the holder for the time being of that office.

6. Provision for holding of bonds issued in the form of promissory notes by trustor trustee(s).

(1) Without prejudice to the provisions of sub-regulation (i) of regulation 4, the National Housing Bank may, at the request of the applicant and without liability to the National Housing Bank issue a Bond in the form of promissory note in the name of a specified trust or trustee(s) of that trust, or, as the case may be, in the personal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without such specifications.

(2) Where a Bond in the form of promissory note stands in the personal name of the holders, the National Housing Bank may, on an application made by him in the Form required by the National Housing Bank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner laid down in sub-regulation (1) hereof :

Provided that,—

(i) the necessary evidence required by the National Housing Bank in terms of sub-regulation (6) hereof has been furnised; and

(ii) the Bond has been endorsed in favour of the National Housing Bank.

(3) The Bond under sub-regulation (1) hereof may be held by a trustee of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.

(4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustee, or where any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the National Housing Bank, the National Housing Bank shall not be concerned to enquire whether the Bond holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such power of attorney or other document, and may act on endorsement, power of attorney or document, in the same manner as though such endorser is a Bond holder and whether the Bond holder is or is not described in the endorsement, power of attorney or document as a trustee, and whether he does or does not purport to make endorsement or execute the power of attorney or document in his capacity as a trustee.

(5) Nothing in these regulations shall, as between any trustees and the beneficiaries, under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust or the terms of the instrument constituting the trust.

(6) Before acting on any application made, in pursuance of this regulation, by a person as being the trustees of any trust, the National Housing Bank may require the production of evidence that such person is the trustee for the time being of that trust.

7. Persons disqualified to be holders :

No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.

8. Payment of Interest :

(1) Interest on a bond in the form of a promissory note shall be paid by the office of issue or any other office of the National Housing Bank specified in the bond prospectus subject to compliance by the holder of the bond with such formalities as the National Housing Bank may require, and on presentation of the bond.

(2) Interest on a bond in the form of stock certificate shall be paid by warrants issued by the National Housing Bank and payable at the local office of the National Housing Bank or the Reserve Bank or the scheduled bank. The presentation of the stock certificate shall not be required at the time of payment of interest but the payee shall acknowledge receipt at the back of the warrant.

(3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the National Housing Bank shall be paid by the National Housing Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be agreed to by the National Housing Bank.

9. Procedure where bond in the form of a promissory note is lost etc.

(1) Every application for the issue of a duplicate bond in place of a bond which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, multilated or defaced, either wholly or in part shal be addressed to the office of issue, and shall contain the following particularls, namely :

(a) Particulars of the bond according to the following form:—

Bond for Rs. ..... No .....
of the per cent
National Housing Bank Bonds ;

IndiaCode

(b) Last half-year for which interest has been paid ;

(c) The person to whom such interest was paid ;

(d) The person in whose name bond was issued (if known) ;

(e) The circumstances attending the loss, theft, destruction, mutilations or defacement ; and

(f) Whether the loss or theft was reported to the police.

(2) Such application shall be accompanied by :

(a) where the bond was lost in course of transmission by registered post, the Post Office registration receipt for the letter containing the bond ;

(b) a copy of the police report, if the loss or theft was reported to the police ;

(c) if the applicant is not the registered holder, an affidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the bond and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder ; and

(d) any portion or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced bond.

(3) A copy of the application shall also be sent to the office of the National Housing Bank where interest is payable if such interest is not payable by the office of issue, provided that it shall not be necessary to send copies of enclosures accompanying the application.

10. Notification in Gazette :—

The loss, theft, destruction, mutilation or defacemest of a bond or portion of a bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local Gazette, if any, of the place where the loss, theft, destruction, mutilation or defacement occurred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as circumstances permit :—

"Lost", ("stolen, "Destroyed", "mutilated' or "defaced" as the case may be).

The National Housing Bank Bond No. ..... of the .....per cent Bond for Rs. .....originally standing in the name of ..... .and last endorsed to the proprietor, by whom it was never endorsed to any other person having been lost (stolen, destroyed, mutilated or defaced) notice is hereby given that payment of the above bond and the interest thereupon has been stopped at the office of issue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or otherwise dealing with the above-mentioned bond.

Name of person notifying.
Residence.

11. Issue of duplicate bond and taking of indemnity:—

(1) After the publication of the last notification prescribed in regulation 10, the prescribed officer shall, if he is informed of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the bond and of the justice of the claim of the applicant, cause the particulars of the bond to be included in a list published under regulation 13 and shall order the office of issue :—

(a) If only a portion of the bond has been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, and and if a portion thereof sufficient for its identification has been produced, to pay interest and to issue to the applicant, on execution of an indemnity bond such as is hereinafter mentioned a dupiclate bond in place of that of which a portion has been so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either immediately after the publication of the list under regulation 13 or on the expiry of such period as the prescribed officer may consider necessary from the date of the publication of the said list ;

(b) if no portion of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced, sufficient for its identification has been produced :—

(I) to pay to the applicant, two years after the publication of the said list, and on the execution of an indemnity bond in the manner hereinafter prescribed, the interest in respect of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced till the expiry of the period of four years as next hereinafter provided ; and

(ii) to issue to the applicant a duplicate bond in place of the bond so lost, stolen, destroyed, mutilated, or defaced four years after the date of publication of the said list; provided that ;

(i) if the date on which the bond is due for repayment falls either than the date on which the said period of four years expires, the prescribed officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the bond in the Post Office Savings Bank, or if the applicant so desires, in current Bonds issued by the National Housing Bank maturing not earlier than the date on which the duplicate is due for issue and shall repay this amount, together with any interest which may have accrued thereon in such Bank, or in such Bonds in which the investment is made, to the applicant at the time when a duplicate bond would otherwise have been issued, and

(ii) if any time before the issue of the duplicate bond the original bond is discovered or it appears to the office of issue for for other reasons that the order should be rescinded, the matter shall be referred to the prescribed officer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescinded or otherwise modified.

(2) The prescribed officer may, at any time prior to the issue of a duplicate bond, if he finds sufficient reasons, alter or cancel any order made by him under this regulation and may also direct that the interval before the issue of a duplicate bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.

(3) Indemnities :—

(i) (a) when executed under sub-regulation (1)-(b)(I) shall be for twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the bond plus twice the amount of all interest to accrue due thereon during the period which will have to elapse before the issue of a duplicate bond can be made, and

(b) in all other cases shall be for twice the face value of the bond plus twice the amount of interest calculated in accordance with clause (a).

The prescribed officer may direct that such indemnity bond shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two sureties approved by him as he may think fit.

12. Procedure when a bond in form of a Stock Certificate is lost etc.

(1) Every application for the issue of a duplicate stock certificate, in place of a stock certificate which is alleged to have been lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced either wholly or in part shall be addressed to the office of issue and shall be accompanied by :—

(a) the Post Office registration receipt of the letter containing the stock certificate if the same was lost in transmission by registered post ;

(b) a copy of the police report, if the loss or theft was reported to the police ;

(c) an affidavit sworn before a Magistrate testifying that the applicant is the legal holder of the stock certificate and the stock certificate is neither in his possession nor has it been transferred, pledged or otherwise dealt with by him; and

(d) any portions or fragments which may remain of the lost, stolen, destroyed, mutilated or defaced stock certificate.

(2) The circumstances attending the loss shall be stated in the application.

(3) The prescribed officer shall, if he is satisfied of the loss, theft, destruction, mutilation or defacement of the stock certificate, direct the issue of a duplicate stock certificate in lieu of the original certificate.

13. Publication of list :—

(1) The list referred to in regulation 11 shall be published half-yearly in the Gazette of India in the months of January and July or as soon afterwards as may be convenient.

(2) All bonds in respect of which an order has been passed under regulation 11 shall be included in the first list published next after the passing of such order and thereafter such bonds shall continue to be included in every succeeding list until the expiration of four years from the date of first publication.

(3) The list shall contain the following particulars regarding each bond included therein, namely, the name of the issue, the number of the bond, its value, the name of the person to whom it was issued, the date from which it bears interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the prescribed officer for payment of interest or issue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the bond was first included.

14. Determination of a mutilated bond as a bond requiring issue of duplicate :

It shall be at the option of the prescribed officer to treat a bond which has been mutilated or defaced as a bond requiring issue of a duplicate under regulation 11 or a mere renewal under regulation 17.

15. When a bond in the form of a promissory note may be required to be renewed :—

(1) A holder of a bond in the form of a promissory note may be required by the office of issue to receipt the same for renewal in any of the following cases, namely :—

(a) if only sufficient room remains on the back of the bond for one further endorsement or if any word is written upon the bond across the existing endorsement or endorsements;

(b) if the bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the office of issue ;

(c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cases on the back of the bond;

(d) if the interest on the bond has remained undrawn for ten years or more ;

(e) if the interest cages on the reverse of the bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of bond do not correspond with the half years for which interest has become due on the date when the bond is presented for drawal of interest ;

(f) if the bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement, and

(g) if in the opinion of the office of issue, the title of the person presenting the bond for payment of interest is irregular or not fully proved.

(2) When requisition for renewal of a bond has been made under sub-regulation (1) payment of any further interest thereon shall be refused until it is receipted for renewal and actually renewed.

16. Person whose title to a bond of a deceased sole holder may be recognised :—

(1) The executors or administrators of a deceased sole holder of a bond (whether a Hindu, Mohammedan, Parsi or otherwise) and the holder of a succession certificate issued under Part X of the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) in respect of the bond shall be the only persons who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the prescribed officer) as having any title to the bond.

(2) Notwithstanding anything contained in Section 45 of the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), in the case of a bond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivors or survivor and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or any person who is the holder of a succession certificate in respect of such bond shall be the only person who may be recognised by the office of issue (subject to any general or special instructions of the prescribed officer) as having any title to the bond.

(3) The office of the issue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of Administration or other legal representation as the case may be from a competent court or office in India, having effect at the place of situation of the office of issue. Provided nevertheless that in any case where the prescribed officer shall in his absolute discretion think fit, it shall be lawful for him to dispense with the production of probate, letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or otherwise as he may think fit.

17. Receipt for renewal etc. :

(1) Subject to any general or special instructions of the prescribed officer, the office of issue may, by its order, on the application of the holder:—

(a) on his delivering the bond or bonds in the form of promissory note or notes and on his satisfying the office of issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form VI, VII or VIII as the case may be, or

(b) convert the promissory note or promissory notes into a stock certificate or stock certificates provided the promissory note or promissory notes has or have been endorsed as follows :—

"Pay to the National Housing Bank", or

(c) renew, sub-divide or consolidate a stock certificate or stock certificates provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form IX, X or XI as the case may be, or

(d) convert the stock certificate or stock certificates into promissory note or promissory notes provided the stock certificate or stock certificates has or have been receipted in Form XII, or

(e) convert the bonds of one series into those of another provided :—

(i) inter series conversion is permissible, and

(ii) the conditions governing such conversion are complied with.

(2) The office of issue may, under the orders of prescribed officer, require the applicant for renewal, sub-division or consolidation of a bond under the sub-regulation (1) execute in idemnity in Form XIII with one or more sureties approved by him.

18. Renewal of bond in case of dispute as to title :

Where there is a dispute as to the title to a bond in respect of which an application for renewal has been made, the prescribed officer may:—

(a) where any party to the dispute has obtained a final decision from a court of competent jurisdiction declaring him to be entitled to such bond, issue a renewed bond in favour of such party, or

(b) refuse to renew the bond until such a decision has been obtained.

Explanation :

For the purpose of this regulation, the expression final decision means a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeal has been filed within the period of limitation allowed by law.

19. Liability in respect of bond renewed etc.

When a duplicate bond has been issued under regulation 11 or a renewed bond has been issued or a new bond has been issued upon sub-division or consolidation under regulation 17, in favour of a person, the bond so issued shall be deemed to constitute a new contract between the National Housing Bank and such person and all persons deriving title thereafter through him.

20. Discharge :

The National Housing Bank shall be discharged from all liability in respect of the bond or bonds paid on maturity or in place of which a duplicate, renewed, sub-divided or consolidated bond or bonds has or have been issued :—

(a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payment was due,

(b) in the case of a duplicate bond after the lapse of four years from the date of the publication under regulation 13 of the list in which the bond is first mentioned, or from the date of payment of interest on the original bond, whichever date is later ;

(c) in the case of a renewed bond or of a new bond issued upon sub-division or consolidation after the lapse of four years from the date of issue thereof.

21. Discharge in respect of interest :

Save as otherwise expressly provided in the terms of the bond, no person shall be entitled to claim interest on any such bond in respect of any period which has elapsed after the earliest date on which demand could have been made for the payment of the amount due on such bond,

22. Discharge of a Bond :

(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment of principal, it shall be presented at the office of the National Housing Bank at which interest thereon is payable or at the office of issue duly signed by the holder on its reverse ;

(b) When a Bond in the form of an entry in the account becomes due for payment of principal, a duly signed receipt in Form XIV shall be furnished by the holder to the Office of Issue.

## THE SCHEDULE

### FORM I

[See Regulation 3(3)]

### FORM OF TRANSFER

I/We ..... .....do hereby assign and transfer my/our interest or share in the inscribed stock of the ..... .....per cent. National Housing Bank Bonds of..... amounting to Rs ..... being the amount/a portion of the stock certificate for Rs..... ..... .....as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon unto..... ..... ..... his/her/their executors, administrators or assigns, and I/We..... do freely accept the above stock certificate transferred to the extent it has been transferred to me/us.

I/We@..... ..... .....hereby request that on my/our@being registered as the holder(s) of the stock certificate hereby transferred to me/us, the aforesaid stock certificate(s) to the extent it has been transferred to me/us@ may be renewed in my/our name(s) converted in my/our name(s) converted in my/our name(s)@.

**I/We@ ..... ..... ..... hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder(s)@ of the stock certificate hereby transferred to him/them @; the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them@ may be renewed in my/our @name(s).

As witness our hand the..... ..... day of.. .....One thousand nine hunded and ..... .....

Signed by the above-named transferor in the presence of*..... ..... (Transferor) .....

Address..... .....

Signed by the above named transferee in the presence of*..... .....

(Transferee) .....

Address.. ..... .....

@Omit the alternative which does not apply.

**This paragraph to be used only when a portion of a stock certificate is transferred.

*Signature, occupation and address of Witness.

Indiacode

FORM II

[see Regulation 3(4)(c)]

Requisition for conversion of Bond in the form of Promissory Note into an entry in the account with the National Housing Bank.

Date.....19 .....

To :

Manager,
Bonds Section,
National Housing Bank,
Bombay.
Dear Sir,

Re :.. .. .. .. %National Housing Bank Bonds
.....(Series)..... .. .. .. .. .. ...
.. .....

We hereby declare that the National Housing Bank Bonds issued in the form of Promissory Note(s) of the aggregate face value of Rs.....listed on the reverse is/are our property and request that we may please be allowed to hold the same in the form of an entry in the account to be maintained by the Housing Bank in our name for which purpose we are surrendering herewith the relevant bond scrips duly endorsed in favour of the National Housing Bank. The name, designation and specimen signature(s) of the person(s), who has/have been authorised to operate the account are as per details given in the reverse.

In this connection, we are enclosing hereto deed of indemnity in your favour, duly stamped and executed on our behalf as per your draft.

We request you to kindly send to us in due course certificate of holding of bonds in form of an account with the National Housing Bank and periodic statement of our holding at the address given above.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Signature(s) of the registered holder(s)/ his duly authorised representative .....

Name(s) of registered holder(s) .....

LIST OF BOND SCRIPS ENCLOSED HERETO

Promissory Note(s) in denomination(s) as stated below

1. Bond Scrip No..... .....dated.....
for Rs.....(.....Series).

2. Bond Scrip No..... ...dated..... .. .. for Rs.....(.. .....Series).

3. Bond Scrip No..... dated .....for Rs..... .....(.....Series).

Aggregate face value of the Bond Scrips Rs.....
Specimen Signature(s)..... ..... . .singly/ Jointly/Either or Supervivor.

Name : 1. ..... ...Designation..... .. ... .. .
2. .. .....Designation.....
Address : .. ..... .. ..... ...

..... ..... ..... .....

.. .. ..... .....

Telephone : .. .. ..... . .....Telex :.....
Enclosed (i) Bond Scrips for aggregate value of Rs.....
.... ..... ..... .....

(ii) Deed of Indemnity.

FORM III

[See Regulation 3(4)(c)]

Requisition or issue of Bond Scrips in lieu of the Bonds held in the form of entry in the acount with the National Housing Bank.

To :
Manager,
Bonds Section,
National Housing Bank,
Bombay
Dear Sir,

Re:... %National Housing Bank Bond
.....(.....Series)

.. .. ..... ..... ... ...

We are forwarding herewith the certificate of holding issued by the National Housing Bank in respect of the Bonds held by us in the form of an entry in the account maintained by the National Housing Bank.

We request that our Bond holdings may please be converted and transferred in the form of promissory note(s), as per details given on the reverse.

We request that Bond Scrips in this regard may please be forwarded to us by registered post at our address given above alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance amount of the Bonds that are continued to be held in the form of an entry in the account maintained by the National Housing Bank.

In the meanwhile please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Signature(s) of the Registered holder(s) or his duly authorised representative.

Name (s) of the Registered holder(s) ..... ..... .. .....

Details of promissory notes required

1. Certificate of Holding No.....
dated..... .. .. ..... ..Rs ..... ..... .....
(.....Series).

2. Certificate of Holding No..... ..... .....
dated..... ..... .....Rs..... . .... ..... ..
(..... ..... .. .....Series).

3. Certificate of Holding No..... ... .. .....
dated..... .. .....Rs..... ..... . . .
(..... .....Series).

Aggregate face value of Bonds Rs..... .....of which, please arrange to issue Bonds Scrips in denominations as stated below :

| Denominations | Number | Aggregate face value |
|---|---|---|
| (1) Rs. 1,000 each × | | = Rs. |
| (2) Rs. 10,000 each × | | = Rs. |

Total.....Scrips of the aggregate Face Value of Rs..... .....

We request that the balance amount of the Bonds may continue to be held in the form of an entry in the account maintained by the National Housing Bank.

FORM IV

[See Regulation 3(4)(g)]

*Form of transfer of Bonds in the form of an entry in the account with the National Housing Bank*

We, .....as the holder/s of the Bonds in the form of an entry in an account with the National Housing Bank do hereby assign and transfer our holding to the extent of Rs..... ..... ..... ...being the entire/porton of our Bond holding together with accrued interest thereon upto..... .. .. . .....to and in favour of.....

We,.....do freely accept the transfer of the above Bonds to our name.

Witness our hand this.. ..... .. .. .. ..day of..... ..... .....19.....

Signed by the above named..... .. .. .. .. (Seller) in the presence of..... .....

Signed by the above named.....(Buyer) in the presence of..... ..

Note : To be stamped in accordance with Article 62(c) of the Indian Stamp Act, 1899 (as amended by the local Stamp Act of the State in which it is executed).

FORM V

[See Regulation 5(2)(b)(iii)]

Form of receipt for renewal of a bond issued in the form of a stock certificate.

Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the .....per cent National Housing Bank Bonds.....for Rs.....in favour of.....with interest payable by the National Housing Bank,..... Signature of the registered holder duly authorised representative of

(Name of the registered holder).....

FORM VI

[See Regulation 17(1)(a)]

Form of endorsement for renewal of a bond in the form of a promissory note.

Received in lieu hereof, a renewed promissory note payable to (name of holder).....with interest payable by the National Housing Bank,.....

Signature of the holder/duly authorised representative of

(Name of holder).....

FORM VII

[See Regulation 17(1)(a)]

Form of endorsement of sub-division of a bond in the form of a promissory note

Received in lieu hereof..... promissory notes for Rs..... respectively payable to (name of holder)..... .....with interest payable by the National Housing Bank.....

Signature of the holder/duly authorised representative of (Name of the holder)

.....

FORM VIII

[See Regulation 17(1)(a)]

Form of endorsement for consolidation of bonds in the form of promissory notes

Received in lieu hereof a new promissory note payable to (name of holder)..... for Rs.....by consolidation with promissory note or promisory notes numbers..... .....(mentioning the numbers and amounts of the other promissory notes desired to be consolidated with it and specifying the issue with interest payable by the National Housing Bank.....

Signature of the holder/duly authorised representative of

(Name of the holder).....

FORM IX

[See Regulation 17(1)(c)]

Form of endorsement for renewal of a stock certificate "Received in lieu hereof a renewed stock certificate of the.. .....per cent National Housing Bank Bonds..... ..... for Rs..... in the name of.....with interest payable by the National Housing Bank....."

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name) of the registered holder .....)

FORM X

[See Regulation 17(1)(c)]

Form of endorsement for sub-division of a stock certificate

Received in lieu of this stock certificate..... stock certificates for Rs.....respectively of the.....per cent National Housing Bank Bonds with interest payable by the National Housing,

IndiaCode

Signature of the registered holder /duly authorised representative of (Name of the registered holder)
.....

FORM XI

[See Regulation 17(1) (c)]

Form of endorsement for consolidation of stock certificates

Received in lieu of stock certificates Nos..... for Rs.....respectively of the..... percent, National Housing Bank Bonds.....a stock certificate for Rs.....of the.....percent National Housing Bank Bonds.....with interest payable by the National Housing Bank.....
.....

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder)
.....

FORM XII

[See Regulation 17(1)(d)]

Form of endorsement for conversion of stock certificates into promissory notes

Received in lieu of this certificate..... promissory notes of Rs.....each (together with a new stock certificate for the balance amounting to Rs.....) with interest payable by the National Housing Bank.

Signature of the registered holder/duly authorised representative of (Name of the registered holder).....
.....

FORM XIII

[See Regulation 17(2)]

Know all men by these presents that

we.....son of.....
(Name of Principal)
Resident of.....and
....Son of.....
(surety No 1)
Resident of.....and.....
.....Son of.....
(surety on 2)
hereby bind ourselves and each of us, and each of our heirs, executors, administrators and representatives and all of them jointly and severally to the National Housing Bank as established under the National Housing Bank Act, 1987 hereinafter referred to as "the said National Housing Bank" for payment of the sum of Rs.....to the said National Housing Bank, its certain attorneys, successor and assigns.

And I/each of us the said.....
(Name of Principal)
and.....hereby covenant with
(name of surety/sureties)
the said National Housing Bank that if any suit shall be brought touching the subject matter of this obligation of the condition hereunder written in any court subordinate to the High Court of Judicature at Bombay, the same, may at the instance of the said Housing Bank whoever may be a party to such suit be removed into, tried and determined by the said High Court in its extraordinary original civil jurisdiction at Bombay.

Whereas the said.....has applied
(name of Principal)
to the said Housing Bank, for the renewal/consolidation/sub-division of Bond(s) issued by the said Housing Bank mentioned in the schedule hereto.

And whereas the said Housing Bank has consented and agreed to accept the said application on the said.....
.....with two good and suffi-
(name of Principal)
cient sureties entering into and executing the above written bond subject to the condition hereunder written.

And whereas the above bounden.....
..... at the request
(name of Surety/Surities)
of the said.....
(name of Principal)
has/have agreed to become surety/sureties for.....
.....(name Principal)
and to join with the said.....in executing
(name of Principal)
the above written bond. Now the condition of the above Bond is such that if the above bounden.....
(name of the
.....and.....or each of
Principal) (name of Surety/Surities)
them or their heirs, executors, administrators or representatives or any or either of them shall from time to time and at all times hereafter effectually save, defend, keep harmless and indemnified the said National Housing Bank from and against the claims and demands of all persons claiming to be entitled to the Bond(s) issued by the said National Housing Bank mentioned in the schedules hereto or to any interest thereon and of other persons whosoever in respect of the said Bond(s) or the renewal thereof or the payment of interest thereon and from and against all damages, losses, charges and expenses which the said Housing Bank may sustain, incur or be liable to for or in consequence of any such claim or demand or by reason of the issue of renewed Bond(s) as aforesaid or the payment of any interest due on the said Bond(s) or renewed Bond(s) then the above written bond shall be void but otherwise the same shall remain in full force and effect.

Signed and delivered by.....in the
(name of Principal)
presence of.....and of.....

Date :

The schedule herein referred to

| Nature and description of the Bond | Number | Date of issue | Amount |
|---|---|---|---|

FORM XIV

[See Regulation 22(b)]

Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the account with the National Housing Bank

To :

Manager,
Bonds Section,
National Housing Bank,
Bombay

Dear Sir,

:.....%National Housing Bank Bond(s).....(.....Series)

.....

Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bond(s) of the nominal face value of Rs..... (Rupees.....only) held in form of an entry in the books of the National Housing Bank to the Credit of.....(bond holder). It is certified that the nominal amount of the Bond(s) and the accrued interest as on the date of maturity agree with my/our books.

Yours faithfully,

Signature of the registered holder(s)/ his duly authorised representative .....

Name(s) of registered holder(s).....

Place:

[F. No. 7(12)/89-CP]

K.S. SASTRY, Chairman
(National Housing Bank)

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989